न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 12/2005 .

1. भंवरीदेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि श्री मोतीराम जाति जाट निवासीनी ग्राम दलतपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
2. नारायणीदेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि श्री रुपाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम दोलपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
3. सुरजीदेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि कालूराम जाति जाट निवासीनी मेंई–राजनपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
4. हींरादेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि जगदीश जाति जाट निवासीनी ग्राम भारीजा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

——वादीनीगण

ब ना म

1. मंगला पुत्र स्व. श्री चौखाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
2. प्रभातीदेवी पत्नि श्री रामूराम जाति जाट निवासीनी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
3. पूराराम पुत्र स्व. श्री चौखाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
4. चन्द्रीदेवी बेवा बुद्वाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
5. सांवरमल पुत्र स्व. श्री बुद्वाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
6. नोलाराम पुत्र स्व. श्री बुद्वाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)। (मृतक)

6./1 रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

7. पतासीदेवी पुत्री स्व. श्री बुद्वाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासीनी हरिपुर पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
8. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
9. उप–पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

उपस्थित :–

1. श्री शिवपालसिंह खींचड़, एडवोकेट वादीनीगण की ओर से।
2. श्री नन्दलाल धायल, एडवोकेट प्रतिवादी सं. 3 की ओर से।
3. श्री बंशीधर बाज्या, एडवोकेट प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.02, 2017

1. वाद पत्र के सक्षेंप में तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीनीगण ने यह वाद–पत्र खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन का प्रस्तुत किया हैं एंव वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली निम्न प्रकार है

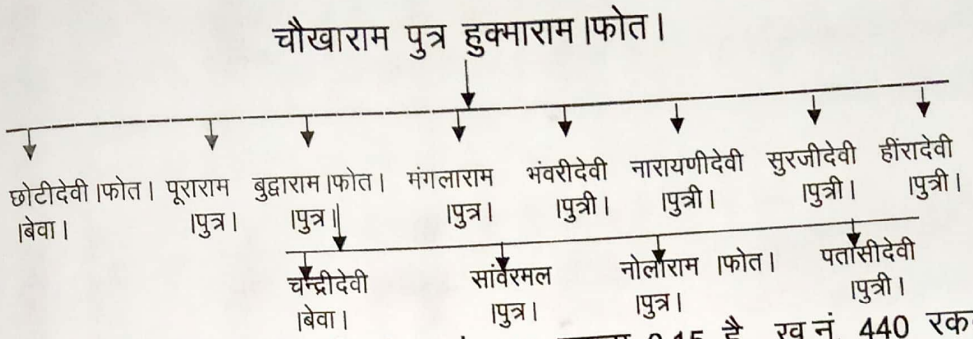

विवादित कृषि भूमियां ख.नं. 439 रकबा 0.15 है., ख.नं. 440 रकबा 1.00 है., ख.नं. 441 रकबा 0.35 है., ख.नं. 442 रकबा 0.25 है, ख.नं. 443 रकबा 0.48 है., ख.नं. 444 रकबा 1.77 है.,ख.नं. 445 रकबा 1.40 है. कुल किता 7 कुल रकबा 5.40 हैक्टेयर ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त विवादित भूमियों में से वादीनीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 7 का पैत्रिक संयुक्त रुप से 1/4 हक हिस्सा व कब्जा काश्त रहा है। विवादित कृषि भूमि ख.नं. 287 रकबा 0.05 है., ख.नं. 288 रकबा 0.48 है., ख.नं. 289 रकबा 0.41 है., ख.नं. 290 रकबा 0.05 है., ख.नं. 291 रकबा 0.07 है., ख.नं. 292 रकबा 0.05 है, ख.नं. 293 रकबा 0.01 है., ख.नं. 294 रकबा 0.45 है., ख.नं. 295 रकबा 0.01 है., ख.नं. 296 रकबा 0.08 है. व ख.नं. 620 रकबा 2.64 है. कुल किता 11 कुल रकबा 4.30 हैक्टेयर वाके ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त संपूर्ण भूमियां वादीनीगण व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 7 की पैत्रिक व संयुक्त हक हिस्से व खाते कब्जे काश्त की रही है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमियों में से 1/4 हिस्सा व वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित संपूर्ण कृषि भूमियां पूर्व में वादीनीगण व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 7 के पूर्वज चौखाराम के खाते, कब्जे काश्त की रही है। वादीनीगण चौखाराम की पुत्रीयां होने के कारण विवादित भूमियों में से चौखाराम के हक व हिस्से में से वादीनीगण प्रत्येक 1/7, 1/7 संयुक्त हक हिस्सा तथा कब्जा काश्त रहा है। वादीनीगण ने यह भी अभिकथित किया हैं कि वादीनीगण के पिता स्व. चौखाराम के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण सं. 18 सर्वथा अवैध रुप से तस्दीक किया गया। वादीनीगण स्व. चौखाराम की पुत्रीयां होने के कारण उनकी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

वैध उत्तराधिकारीगण थी उसके बावजुद भी विवादित भूमियों में वादीनीगण का नाम अंकित नहीं किया गया। उसके पश्चात वादीनीगण की माता छोटीदेवी पत्नि चौखाराम का स्वर्गवास होने के उपरान्त नामान्तकरण सं. 123 भी सर्वथा अवैध रुप से तस्दीक किया गया जिसमें भी वादीनीगण का नाम अंकित नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों नामान्तकरण, नामान्तकरण सं. 18 व नामान्तकरण सं. 123 निम्नलिखित कारणों से सर्वथा अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है :–

(क) यह कि उपरोक्त नामान्तकरण, नामान्तकरण सं. 18 व नामान्तकरण सं. 123 तस्दीक करने से पूर्व वादीनीगण को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है इस प्रकार उपरोक्त नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

(ख) यह कि उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व विधि और नियमों की पालना नहीं की गयी, इसलिए उपरोक्त नामान्तकरण विधि और नियमों की पालना न करने के कारण भी निरस्तनीय है।

(ग) यह कि उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जे की कोई जॉच नहीं की गयी, इसलिए भी उपरोक्त नामान्तकरण निरस्तनीय है।

2. वाद–पत्र में वादीनीगण ने अभिकथित किया हैं कि प्रतिवादी सं. 1 ने खातेदारी में एक गलत इन्द्राजात के कारण वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमियों में से भूमि ख.नं. 288, 289, 293, 294, 296 कुल किता 5 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्से के बाबत एक सर्वथा अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन विक्रय पत्र प्रतिवादीनी सं. 2 के हक में दिनांक 24/01/2005 को उप–पंजीयक दांतारामगढ़ के यहॉ पर निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। उपरोक्त विक्रय पत्र दांतारामगढ़ उप–पंजीयक कार्यालय के यहॉ पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 1204 पृष्ट सं. 125 क. सं. 217 पर पंजीकृत किया गया है। प्रतिवादीनी सं. 2 ने पटवारी हल्का धोलासरी व तहसीलदार दांतारामगढ़ से साजिश रचकर नामान्तकरण सं. 124 सर्वथा अवैध अनाधिकृत रुप से तस्दीक करवा लिया। उपरोक्त विक्रय पत्र व नामान्तकरण सं. 124 निम्नलिखित कारणों से सर्वथा अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है :–

(क) यह कि उपरोक्त विक्रय पत्र व नामान्तकरण सं. 124 प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से से अधिक बाबत होने के कारण अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है।

(ख) यह कि उपरोक्त विक्रय पत्र गुप्त रुप से दिनांक 24/01/2005 को निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया और उसी दिन पटवारी हल्का से साजिश कर नामान्तकरण सं. 124 प्रतिवादीनी सं. 2 के नाम से भरा गया तथा दिनांक 25/01/2005 को तहसीलदार दांतारामगढ़ से तस्दीक करवा लिया गया। इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही षडयंत्रपूर्वक व साजशी रुप से की गयी है।

खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

(ग) यह कि कानूनन किसी भी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार 45 दिन तक ग्राम पंचायत का होता है, इस प्रकार उपरोक्त नामान्तकरण सं. 124 तहसीलदार दांतारामगढ़ जो कि अपने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर तस्दीक किया हुआ होने से निरस्तनीय है।

वाद–पत्र में वादीनीगण ने अभिकथित किया हैं कि उपरोक्त विक्रय पत्र के तहत न तो कोई प्रतिफल अदा किया गया और ना ही कोई कब्जे का हस्तानान्तरण किया गया, इस प्रकार उपरोक्त विक्रय पत्र बिना कब्जे व बिना किसी प्रतिफल अदा करने के अभाव में भी शुन्य व प्रभावहीन है। वाद–पत्र में वादीनीगण ने अभिकथित किया हैं कि प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम हुये गलत इन्द्राजात के आधार पर भू–माफिया गिरोह के नाम अन्यत्र हस्तानान्तरण प्रलेख तस्दीक करवाने पर आमादा है तथा प्रतिवादी सं. 2 उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमियों पर बलात् कब्जा करने की कुचेष्टा में संलग्न है। दिनांक 27/01/2005 को वादीनी सं. 1 व 2 जब अपने हक व हिस्से की भूमियों की देखभाल करने गयी तो प्रतिवादी सं. 1 ने वादीनी सं. 1 व 2 को यह धमकी दी कि विवादित भूमियों में से आपको कुछ नहीं मिलेगा उनके बाबत एक विक्रय पत्र तो मैंने प्रतिवादी सं. 2 के नाम तस्दीक करवा दिया है और शेष के बाबत शीघ्र ही करवाकर उनको बलात् कब्जा करवाउंगा। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की उक्त कुचेष्टाओं के कारण वादीनीगण के वैध अधिकारों पर भारी आघात होने की संभावना उत्पन्न हो गयी है इसलिए उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। तद्हेतु उपरोक्त वाद नियोजित किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 27/01/2005 को वादीनी सं. 1 व 2 को धमकी देने से उत्पन्न हुआ और वर्तमान में भी कुचेष्टा में संलग्न होने के कारण क्षण–प्रतिक्षण जारी है। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के अनुसार 2/–रुपयें के न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 8 को भू–धारक के रुप में व प्रतिवादी सं. 9 को प्रलेख पंजीयन अधिकारी के रुप में औपचारिक पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अंत में वादीयागण द्वारा यह अनुतोष दावा वादीनीगण विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित विवादित कृषि भूमि ख.नं. 439 रकबा 0.15 है., ख.नं. 440 रकबा 1.00 है., ख.नं. 441 रकबा 0.35 है,ख.नं. 442 रकबा 0.25 है, ख.नं. 443 रकबा 0.48 है., ख.नं. 444 रकबा 1.77 है.,ख.नं. 445 रकबा 1.40 है. कुल किता 7 कुल रकबा 5.40 हैक्टेयर ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज) में से वादीनीगण प्रत्येक को 1/28, 1/28 तथा वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित विवादित कृषि भूमि ख.नं. 287 रकबा 0.05 है., ख.नं. 288 रकबा 0.48 है., ख.नं. 289 रकबा 0.41 है., ख.नं. 290 रकबा 0.05 है., ख.नं. 291 रकबा 0.07 है., ख.नं. 292 रकबा 0.05 है, ख.नं. 293 रकबा 0.01 है., ख.नं. 294 रकबा 0.45 है., ख.नं. 295 रकबा 0.01 है., ख.नं. 296 रकबा 0.08 है. व ख.नं. 620 रकबा 2.64 है. कुल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

किता 11 कुल रकबा 4.30 हैक्टेयर वाके ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज) में से वादीनीगण प्रत्येक को 1/7, 1/7 हक हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे व तद्नुसार रेवेन्यू रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को मय परिवारजन, नोकरजन, मित्रगण, प्रतिनिधिगण मय वारिशान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वाद पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां वाके ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में से वादीनीगण को बलात् बेदखल करने, पैड़ पौधे काटने, सींव नींव तोड़ फोड़ करने, मौका सुरत बदलने किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने, विक्रय करने व किसी भी रुप में हस्तानान्तरित व प्रभारित करने से सदैव के लिए बाज रहे।

3. वाद–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 8 व 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब–दावा/वादोत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर मुख्यतः यह रहा कि स्व. चौखाराम के स्वर्गवास के बाद विरासत का नामान्तकरण उनके वारिशान के नाम पूर्ण जॉच करके भरा गया था। वादीनीगण के पिता स्व. चौखाराम की मृत्यु हुयी उस समय चौखाराम के सभी वारिशान को सूचना दी गयी थी। उक्त सूचना के तहत वादीनीगण ने एक किता स्टाम्प 10/–रुपयें की सहमति दी थी कि विवादित भूमियों में अर्थात चौखाराम की भूमियों में कोई हक हिस्सा नहीं चाहती है। उक्त भूमियां हमारे भाईयों के नाम कर दी जाती है तो हमें कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। उक्त सहमति पत्र के आधार पर ही विवादित भूमियों का खाता प्रतिवादी सं. 1, 3 लगायत 7 के नाम हुआ है तब से लेकर आज तक बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीनीगण की सहमति के आधार पर ही प्रतिवादीगण के नाम विवादित भूमियों का खाता दर्ज हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 को पूर्ण प्रतिफल लेकर निष्पादित करवाया है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक हिस्से से अधिक भूमि विक्रय नहीं की है और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं. 124 स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तकरण कब्जे की पूर्ण जॉच कर भरा गया था। उक्त नामान्तकरण तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया था क्योंकि उस समय सभी ग्राम पंचायतों के अधिकार छीन लिये गये थे इसलिए ग्राम पंचायतो के पास अधिकार न होने से तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ़ ने अपने क्षैत्राधिकार में रहते हुये नामान्तकरण तस्दीक किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादोत्तर में यह भी अभिकथन किया गया कि वादीनीगण ने उपरोक्त विक्रय पत्र को अवैध, शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने की प्रार्थना की है जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, जिसको आज तक सिविल न्यायालय में चेलेंज

उप अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

नहीं किया है तथा अन्त में प्रतिवादीगण ने वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने की प्रार्थना की गयी।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. क्या वादीनीगण विवादित भूमि में 1/7–1/7 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाये जाने की अधिकारीणी है ?
–जिम्मे वादीनीगण

2. क्या वादीनीगण विरुद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है ?
–जिम्मे वादीनीगण

3. क्या वादीनीगण द्वारा अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण भरते समय 10/–रुपयें के स्टाम्प पर प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तकरण भरने हेतू सहमति दे देने से उनका कोई हक हिस्सा नहीं बचता है ?
–जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4, 5, 6

4- क्या प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिये बिना प्रस्तुत दावा चलने योग्य नहीं है ?
–जिम्मे प्रतिवादी सं. 5

5- क्या प्रस्तुत दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है ?
–जिम्मे प्रतिवादी सं. 5

6- अनुतोष ?

5. वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु होने पर कायम मुकाम रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 6 नोलाराम की पत्नि रुपादेवी को प्रतिवादीया सं. 6/1 के रुप में रिकार्ड पर लिया गया।वाद पत्र में साक्ष्य वादीगण हेतु वादीनीगण की ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। गवाह के रुप में वादीया सुरजीदेवी ने उपस्थित न्यायालय होकर अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज एक्जी. करवाये गये। प्रतिपरीक्षण में वादीया सुरजीदेवी ने वाद पत्र में अंकित कथनों की पुष्टि कर वादाधीन भूमियां अपनी पैत्रिक भूमियां होना तथा वादीनीगण स्व. चौखाराम की जायन्दा पुत्रीयां होने के कारण वाद डिक्री कर खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन किया।

6. वाद पत्र जिरह साक्ष्य वादीगण की स्टेज पर विचाराधीन के दरमियान ही वाद पत्र के पक्षकारान् अर्थात वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 की ओर से दिनांक 13/01/2017 को राजीनामा प्रस्तुत कर जरिये राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षकारान् ने राजीनामा के मुताबिक वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की। प्रतिवादी सं. 6/1 रुपादेवी वर्तमान में जिला काराग्रह सीकर में न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री बंशीधर बाज्या ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी वाद पत्र में प्रस्तुत राजीनामा पर हस्ताक्षर हेतू उनवानी प्रकरण की पत्रावली को जिला काराग्रह, सीकर स्पेशल मेसेंजर के जरिये

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

भिजवाकर प्रतिवादीया सं. 6/1 के हस्ताक्षर करवाकर वाद राजीनामा के मुताबिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिस पर स्पेशल मेसेंजर के जरिये पत्रावली को जिला काराग्रह, सीकर भिजवाया गया। प्रतिवादीया सं. 6/1 ने वाद पत्र में प्रस्तुत राजीनामा को पढ़कर अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये।

7. वाद पत्र के पक्षकारान् की ओर राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर पत्रावली में साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता न रहने से पत्रावली को बहस अंतिम में नियत किया गया।

8. उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया। इस वाद–पत्र में विचारणीय बिन्दु यह हैं कि "क्या विवादित कृषि भूमियां वादीनीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक सम्पति है तथा वादीनीगण स्व. चौखाराम की जायन्दा पुत्रीयां होने से वादीनीगण के पिता स्व. चौखाराम की विरासत के नामान्तकरण सं. 18 व माता छोटीदेवी की विरासत के नामान्तकरण सं. 123 को अवैध, शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाकर खातेदारी अधिकार उद्घोषित करवाये जाने की अधिकारीणी है तथा साथ ही प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में दिनांकित 24/01/2005 को पंजीकृत विक्रय पत्र, जो कि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि से अधिक भूमि का विक्रय कर दिये जाने से वादीनीगण अपने हिस्से की सीमा तक इस विक्रय–पत्र को अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने की अधिकारीणी है ?"

1. वादीनीगण ने इस वाद–पत्र में वर्णित भूमियों को पैत्रिक भूमियां होना वर्णित किया है तथा वादीनीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात एवं प्रदर्शित करवाये गये रिकार्ड के अवलोकन से यह बखुबी प्रमाणित है कि वाद पत्र में वर्णित भूमियां वादीनीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां है तथा इस अभिकथन का खण्ड़न प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने वादोत्तर/जवाब दावा में भी नहीं किया गया है अर्थात प्रतिवादीगण द्वारा भी यह तथ्य पूर्णतया स्वीकृत है कि वादाधीन भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां है। इस प्रकार विवादित भूमियां वादीनीगण की पैतृक होना रिकार्ड से प्रमाणित हैं। वादीनीगण स्व. चौखाराम की जायन्दा पुत्रीयां होने से विवादित भूमियां में हक व हिस्सा रखती है। वादीनीगण द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य वाद पत्र में प्रस्तुत की गयी है, वह अखण्डित हैं और उपरोक्त साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है बल्कि वादीनीगण के वाद को पक्षकारान् ने जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति भी प्रकट की है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में यह विधि प्रतिपादित की गई हैं कि किसी भी हिन्दू परिवार में पुत्री का भी जन्म से ही पुत्र की भांति सहदायकी अधिकार हैं। इस प्रकार पुत्री को भी पुत्र की भांति ही सहदायकी के रूप में सम्मिलित करते हुए अधिकार प्रदान किया गया हैं। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 24/01/2005 को प्रतिवादीया सं. 2 के पक्ष में निष्पादित एवं पजीकृत किया गया है जो वर्णित 1.43 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 केवल 1/7 हिस्से

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

की भूमि ही विक्रय करने का अधिकारी था किन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय प्रतिवादीया सं. 2 को कर दिया तथा ऐसा दस्तावेज को वादीनीगण के अधिकारों तक प्रभावहीन एवं शून्य घोषित किया जा सकता है तथा ऐसा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें वादीनीगण पक्षकार नहीं है तथा वादीनीगण की पैत्रिक भूमियां का वादीनीगण के हक हिस्से को सम्मिलित करते हुये पंजीबद्व करवाया गया है, को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को हासिल है तथा राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा के साथ साथ वादीनीगण के हक व अधिकारों तक ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को प्रभावहीन व शुन्य घोषित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की अधिकारिता रखता है। उपर्युक्त समग्र विवेचन एवं निष्कर्ष के परिपेक्ष में वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र जरिये राजीनामा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है। वादीनीगण को वाद पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां की खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा वादपत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित भूमियां की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 के नाम से निम्न प्रकार से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदारान् जिसके नाम से खातेदारी दर्ज होनी है।
1.	287	0.05 है.	पूराराम, मंगलाराम पुत्रगण स्व. चौखाराम भंवरीदेवी, नारायणीदेवी, सुरजीदेवी, हींरादेवी पुत्रीया स्व.चौंखाराम हि. ब. हि. 6/7, चन्द्रीदेवी पत्नि स्व. बुद्वाराम, सांवरमल पुत्र स्व. बुद्वाराम, पतासीदेवी पुत्री स्व. बुद्वाराम हि. ब. हि. 3/28 व रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ (सीकर)।
	290	0.05 है.	
	291	0.07 है.	
	292	0.05 है.	
	295	0.01 है.	
	620	2.64 है.	
	किता 6	कुल रकबा 2.87 है0	
2.	288	0.48 है.	पूराराम पुत्र स्व. चौखाराम भंवरीदेवी, नारायणीदेवी, सुरजीदेवी, हींरादेवी पुत्रीया स्व. चौंखाराम हि. ब. हि. 5/7, प्रभातीदेवी पत्नि रामूराम हि. 1/7, चन्द्रीदेवी पत्नि स्व. बुद्वाराम, सांवरमल पुत्र स्व. बुद्वाराम, पतासीदेवी पुत्री स्व. बुद्वाराम हि. ब. हि. 3/28 व रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ (सीकर)।
	289	0.41 है.	
	293	0.01 है.	
	294	0.45 है.	
	296	0.08 है.	
	किता 5	कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर	
3.	439	0.15 है.	पूराराम, मंगलाराम पुत्रगण स्व. चौखाराम भंवरीदेवी, नारायणीदेवी, सुरजीदेवी, हींरादेवी
	440	1.00 है.	

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

	441	0.35 है.	पुत्रीया स्व.चौखाराम हि. ब. हि. 6/7, चन्द्रीदेवी पत्नि स्व. बुद्वाराम, सांवरमल पुत्र स्व. बुद्वाराम, पतासीदेवी पुत्री स्व. बुद्वाराम हि. ब. हि. 3/28 व रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ (सीकर)। दर हिस्सा 1/4
	442	0.25 है.	
	443	0.48 है.	
	444	1.77 है.	
	445	1.40 है.	
	किता 7	कुल रकबा 5.40 है0	

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादीया सं. 2 के पक्ष में पंजीबद्व करवाये गये विक्रय पत्र दिनांकित 24/01/2005 को वादीनीगण के अधिकारों के मुकाबले अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है। वाद पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां के स्व. चौखाराम की विरासत बाबत तस्दीक नामान्तकरण सं. 18 दिनांकित 05.07.1997 व स्व. छोटीदेवी पत्नि चौखाराम की विरासत बाबत तस्दीक नामान्तकरण सं. 123 दिनांकित 18.01.2005 को अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है। पक्षकारान् वाद खर्चा अपना अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिकी जारी हो। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

9. यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

Anand

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

इजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

भंवरीदेवी आदि बनाम मंगलाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

मुकदमा नं0 15/2005/दावा निर्णय दिनांक 11.02.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आर.ए.एस बहाजरी श्री शिवपाल सिंह मिनजानिब मुद्दई श्री बंशीधर बाज्या व नंदलाल धायल मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः आदेश है कि वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र जरिये राजीनामा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है। वादीनीगण को वाद पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां की खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा वादपत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित भूमियां की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 के नाम से निम्न प्रकार से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क. सं.	ख0नं0	रकबा	नाम खातेदारान् जिसके नाम से खातेदारी दर्ज होनी है।
1.	287	0.05 है.	पूराराम, मंगलाराम पुत्रगण स्व. चौखाराम भंवरीदेवी, नारायणीदेवी, सुरजीदेवी, हींरादेवी पुत्रीया स्व.चौंखाराम हि. ब. हि. 6/7, चन्द्रीदेवी पत्नि स्व. बुद्वाराम, सांवरमल पुत्र स्व. बुद्वाराम, पतासीदेवी पुत्री स्व. बुद्वाराम हि. ब. हि. 3/28 व रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ (सीकर)।
	290	0.05 है.	
	291	0.07 है.	
	292	0.05 है.	
	295	0.01 है.	
	620	2.64 है.	
	किता 6 कुल रकबा 2.87 है0		
2.	288	0.48 है.	पूराराम पुत्र स्व. चौखाराम भंवरीदेवी, नारायणीदेवी, सुरजीदेवी, हींरादेवी पुत्रीया स्व.चौंखाराम हि. ब. हि. 5/7, प्रभातीदेवी पत्नि रामूराम हि. 1/7, चन्द्रीदेवी पत्नि स्व. बुद्वाराम, सांवरमल पुत्र स्व. बुद्वाराम, पतासीदेवी पुत्री स्व. बुद्वाराम हि. ब. हि. 3/28 व रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ (सीकर)।
	289	0.41 है.	
	293	0.01 है.	
	294	0.45 है.	
	296	0.08 है.	
	किता 5 कुल रकबा 1.43 है0		
3.	439	0.15 है.	पूराराम, मंगलाराम पुत्रगण स्व. चौखाराम भंवरीदेवी, नारायणीदेवी, सुरजीदेवी, हींरादेवी पुत्रीया स्व.चौंखाराम हि. ब. हि. 6/7, चन्द्रीदेवी पत्नि स्व. बुद्वाराम, सांवरमल पुत्र स्व. बुद्वाराम, पतासीदेवी पुत्री स्व. बुद्वाराम हि. ब. हि. 3/28 व रुपादेवी पत्नि स्व.
	440	1.00 है.	
	441	0.35 है.	
	442	0.25 है.	
	443	0.48 है.	

Scanned by CamScanner

	444	1.77 है.	नोलाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ (सीकर)। दर हिस्सा 1/4
	445	1.40 है.	
	किता 7	कुल रकबा 5.40 है0	

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादीया सं. 2 के पक्ष में पंजीबद्व करवाये गये विक्रय पत्र दिनांकित 24/01/2005 को वादीनीगण के अधिकारों के मुकाबले अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है। वाद पत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां के स्व. चौखाराम की विरासत बाबत तस्दीक नामान्तकरण सं. 18 दिनांकित 05.07.1997 व स्व. छोटीदेवी पत्नि चौखाराम की विरासत बाबत तस्दीक नामान्तकरण सं. 123 दिनांकित 18.01.2005 को अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है। पक्षकारान् वाद खर्चा अपना अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	3	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	9	00	मीजान	2	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 12/2005 .

1. भंवरीदेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि श्री मोतीराम जाति जाट निवासीनी ग्राम दलतपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
2. नारायणीदेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि श्री रुपाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम दोलपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
3. सुरजीदेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि कालूराम जाति जाट निवासीनी मेंई–राजनपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
4. हींरादेवी पुत्री स्व. श्री चौखाराम पत्नि जगदीश जाति जाट निवासीनी ग्राम भारीजा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

——वादीनीगण

ब ना म

1. मंगला पुत्र स्व. श्री चौखाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2. प्रभातीदेवी पत्नि श्री रामूराम जाति जाट निवासीनी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
3. पूराराम पुत्र स्व. श्री चौखाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
4. चन्द्रीदेवी बेवा बुद्वाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
5. सांवरमल पुत्र स्व. श्री बुद्वाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
6. नोलाराम पुत्र स्व. श्री बुद्वाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (मृतक)

   6/1 रुपादेवी पत्नि स्व. नोलाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
7. पतासीदेवी पुत्री स्व. श्री बुद्वाराम पत्नि गणपत जाति जाट निवासीनी हरिपुरा पितृगृह ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
8. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
9. उप–पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन।

उपस्थित :–

1. श्री शिवपालसिंह खींचड़, एडवोकेट वादीनीगण की ओर से।
2. श्री नन्दलाल धायल, एडवोकेट प्रतिवादी सं. 3 की ओर से।
3. श्री बंशीधर बाज्या, एडवोकेट प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.02, 2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner